न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, सोनभद्र

–:रिमाण्ड कार्य आदेश:–

माह मार्च–2026 व अप्रैल–2026 तक के लिए वीडियो कान्फ्रेसिंगं रिमाण्ड एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:–

1. माह **मार्च–2026** में वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्री अभिनव कुमार दुबे, सिविल जज जू0डि0(एफ.टी.सी.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट(14वां वित्त आयोग),सोनभद्र** द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

3. माह **अप्रैल,2026** में वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्रीमती इन्दू वर्मा, सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र** द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

यह रिमाण्ड कार्य आदेश दिनांक 01.03.2026 से प्रभावी होगा।

दिनांकः 26.02.2026

(आलोक यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र
2. सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
3. सिविल जज जू0डि0(एफ.टी.सी.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट(14वां वित्त आयोग), सोनभद्र
4. नोड़ल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग,जनपद न्यायालय,सोनभद्र
5. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सोनभद्र

दिनांकः 26.02.2026

26/02/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र